

व्याख्या



पत्रावली प्रस्तुत अधिकता अपीलार्थी द्वारा
नहीं है अपीलार्थी स्वयं भी अनुपस्थित
हो पूर्व में अपीलार्थी स्वयं पर नोकि शामिल
हो चुका है लेकिन वे प्रकथ में दाखिल
नहीं कर रहे हैं अतः अपील अपीलार्थी
वकील अपीलार्थी व अपीलार्थी की अदालत
दाखिल एवं अदालत में प्रार्थना की जाती है
अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख लौकिक न्याय
पत्रावली में सुनने के लिए दाखिल है



जिला कलक्टर
अनूपगढ़